उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 3/2015/251/छप्पन-2015-93/13 टी0सी0-।।
लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2015
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2014-15 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105- बहुशिल्प-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030001	2358	101	101	101	2257
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030001	22720	1000	1000	1000	21720
207000114030003	23956	1129	1129	1129	22827
योग	49034	2230	2230	2230	46804

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105- बहुशिल्प-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030002	6945	7046	101	101	7046
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर- 114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030002	50494	52623	2129	2129	52623
योग	57439	59669	2230	2230	59669

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर.ई. संख्या- 325/ई-7/दस-2015, दिनांक : 04 मार्च, 2015

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है :-
नियमित सेवा में कार्यरत वाहन चालक के आकस्मिक निधन हो जाने एवं 01-वेतन, 03-मँहगाई मद से निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार एरियर/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत सम्भावित है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- संस्थान में मृतक आश्रित को चतुर्थ श्रेणी के पद पर संविदा पर नियुक्त करने के कारण एवं पायलटों की नियुक्ति करने के फलस्वरूप व्ययाधिक्य हो रहा है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....
अरूण कुमार दुबे
अनु सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

संख्या : 3/2015/251(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड बुक।

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।